राजस्थानसरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3)

क्रमांकः प.6 (18)प्र.सु/अनु.3/99 जयपुर, दिनांक 19.4.99

आज्ञा

अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के निलम्बन के प्रकरण एवं वह प्रकरण जिनमें आरोप पत्र जारी नहीं हुये हों, का पुनरावलोकन करने, निलम्बित रखने या बहाल करने संबंधी निर्णय लेने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन करते हैः-

1. संबंधित विभाग के मंत्री	अध्यक्ष
2. प्रशासनिक विभाग के संबंधित सचिव	सदस्य
3. विभागाध्यक्ष	सदस्य सचिव

विभागाध्यक्ष पुनरावलोकन समिति की सिफारिशों पर विचार कर प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक (क-3) विभाग होगा।

आज्ञा से,
ह0
(बी.एल.वर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थानसरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3)

क्रमांकः प.6 (18)प्र.सु/अनु.3/99 जयपुर, दिनांक 23 जून 2000

संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 19.4.99 के क्रम में अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के निलम्बन के प्रकरण एवं वह प्रकरण जिनमें आरोप पत्र जारी नहीं हुये हों, का पुनरावलोकन करने, निलम्बन करने या बहाल करने संबंधी निर्णय लेने हेतु गठित समिति के अंत में निम्न पंक्तियां जोड़े जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-

(1) समिति की बैठक 3 माह में एक बार अवश्य होगी।
(2) विभागाध्यक्ष पुनर्विलोकन समिति की सिफारिश के आधार पर उचित कार्यवाही करेंगे।
(3) प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6 (23)प्र.सु./अनु.3/93 दिनांक 16.6.93 को विलोपित किया जाता है।

आज्ञा से,
ह0
(श्रीमती हंसा सिंह देव)
शासन उप सचिव

राजस्थानसरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प.9 (2) कार्मिक/क-3/99 पार्ट जयपुर, दिनांक 19 AUG 2000

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्तगण।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिला कलक्टर।

शासन उप सचिव

सर्कुलर

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग

क्रमांक प.6(18)प्र.सु./अनु0-3/99 जयपुर, दिनांक: 22.2.2005

:: आज्ञा ::

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित/विचाराधीन अनुशासनिक कार्यवाही के कारण निलम्बित किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के निलम्बन के मामलों का पुनरावलोकन करने हेतु समसंख्यक आज्ञा दिनांक 19.4.99 के अतिक्रमण में महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्न सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है :-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव	सदस्य
3.	शासन सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य सचिव

समिति अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने सम्बन्धी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक(क-3/जाँच) विभाग होगा ।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, अशासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर ।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. अनुभाग अधिकारी, कार्मिक(क-3/जाँच) विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है ।
10. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

नरेन/

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग

क्रमांक प.6(18)प्र.सु./अनु0-3/99, जयपुर, दिनांक: 10.3.05

:: शुद्धि-पत्र ::

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 22.2.2005 के द्वितीय पेरा में "समिति अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने सम्बन्धी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी"

के स्थान पर

"समिति छः माह से अधिक के निलम्बित अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने सम्बन्धी अपनी अभिशंषा प्रत्येक तिमाही में पुनर्विलोकन कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी" पढ़ा जावे।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित हैं।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

नरेन/

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग

क्रमांक प.6(18)प्र.सु./अनु0-3/99 जयपुर, दिनांक: 20.10.2005

:: आज्ञा ::

शासन सचिवालय के मंत्रालयिक, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के निलम्बन के प्रकरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया निम्न प्रकार से समिति का एतद्द्वारा गठन करते हैं :-

1. शासन सचिव, कार्मिक विभाग — अध्यक्ष
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग — सदस्य
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग — सदस्य सचिव

समिति की बैठक 3 माह में एक बार अवश्य होगी ।

समिति छः माह से अधिक अवधि के निलम्बित राजसेवकों के निलम्बन को निरन्तर रखने या निलम्बन से बहाल करने के सन्दर्भ में निलम्बन प्रकरणों का पुनर्विलोकन करेगी ।

उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग पुनरावलोकन समिति की सिफारिश के आधार पर उचित कार्यवाही करेंगे । उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक (क-3) विभाग होगा ।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग ।
4. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग ।
5. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

1146

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग

क्रमांक : प.6(23)प्र.सु/अनु–3/99 जयपुर, दिनांक 28.7.2008

आज्ञा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किये गये राजसेवको के मामलो का पुनरावलोकन करने हेतु समसंख्यक आज्ञा दिनांक 8.6.99 के अतिक्रमण में महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:–

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर	सदस्य
3. संबधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव	सदस्य
4. शासन सचिव, कार्मिक	सदस्य सचिव

समिति तीन वर्ष से अधिक के निलम्बन के मामलो का पुनरावलोकन करेगी।

राज्य सेवा के अधिकारियों के प्रकरण जिन्हे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक मामलो में निलम्बित किये तीन वर्ष से अधिक का समय होगया है समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन किया जावेगा। तीन वर्ष की अवधि की गणना सक्षम न्यायालय में चालान पेश किये जाने की तिथि से की जायेगी।

समिति की बैठक 6 माह मे एक बार अवश्य होगी तथा समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरण के सबंध में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक(क–3/शिकायत)विभाग होगा।

आज्ञा से

28/7/08
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/मा0 मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/प्रमुख शासनसचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।।

3. समस्तसदस्य(समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग को आदेश की अतिरिक्त प्रतिया समस्त संबंधित सदस्यो को भिजवाने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग ।
6. रक्षित पत्रावली ।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग

क्रमांक : प.6(23)प्र.सु/अनु–3/99 जयपुर, दिनांक 28.7.2008

आज्ञा

पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किये गये राजसेवको के मामलो का पुनरावलोकन करने हेतु सभसंख्यक आाज्ञा दिनांक 8.6.99 के अतिक्रमण में महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:–

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, पुलिस,राज0	सदस्य
3. संबधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव	सदस्य
4. शासन सचिव, कार्मिक	सदस्य सचिव

समिति तीन वर्ष से अधिक से समयावधि से लम्बित निलम्बन के मामलो का पुनरावलोकन करेगी।

राज्य सेवा के अधिकारियों के प्रकरण जिन्हे पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक मामलो में निलम्बित किये तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है समिति द्वारा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन किया जावेगा। तीन वर्ष की अवधि की गणना सक्षम न्यायालय में चालान पेश किये जाने की तिथि से की जायेगी।

समिति की बैठक 6 माह मे एक बार अवश्य होगी तथा समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार(कार्मिक विभाग) को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरण के सबंध में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक(क–3/शिकायत)विभाग होगा।

आज्ञा से

28/7/08

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/मा० मुख्य मंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0जयपुर।

1125.

3. समस्तसदस्य(समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3)विभाग को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को भिजवाने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग ।
6. रक्षित पत्रावली ।

अनुभागाधिकारी